रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276257
CG-DL-E-16092026-276257

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4809] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2026/भाद्र 18, 1948
No. 4809] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2026/BHADRA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

का.आ. 4999(अ).— केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) और धारा 110 की उप-धारा 3(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित आयामों वाले विभिन्न उप-असेम्बलियों, लॉन्च व्हीकल हार्डवेयर और संबद्ध उपकरणों के परिवहन के लिए 'विशेष प्रयोजन रॉकेट असेंबली परिवहन ट्रेलर' के पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान करती है।

अनुसूची

क्र.सं.	मद	विवरण
1.	संयोजन (कांबिनेशन) का प्रकार	ट्रैक्टर/ट्रेलर-(वेल बेड-सेमी ट्रेलर)
2.	स्वामित्व	निदेशक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), त्रिवेंद्रम, केरलम
3.	आर्टिकुलेटेड सेमी ट्रेलर के विनिर्माता	मैसर्स वी.एस. ट्रेलर्स

4.	कांबिनेशन की संख्या	एक	
वाहन का विवरण		**पंजीकरण संख्या- पंजीकृत किया जाना है**	
5.	इंजन नंबर	आरडीपीजेड134175	
6.	चेसिस नंबर	ट्रैक्टर:-एमबी1टीटीवीएचडी1आरपीडीसी6913 ट्रेलर:- वीएसटीएसडब्ल्यूबी2एफके25001	
ट्रेलर का विवरण		**बगैर भार लदान**	भार लदान
7.	लंबाई	19.750 मीटर	19.750 मीटर
8.	चौड़ाई	3.000 मीटर	5.100 मीटर
9.	ऊंचाई (लदान)	1.300 मीटर	5.400 मीटर
10.	टायर:		
	प्रथम धुरी द्वितीय धुरी तृतीय धुरी चतुर्थ धुरी	295/90 आर x20 – 2 टायर 295/90 आर x20 – 4 टायर 10.00x20 – 4 टायर 10.00x20 – 4 टायर	
11.	भार:- पेलोड भार:- ट्रेलर भार:- वाहन का सकल लदान भार:- कुल संयुक्त भार:-	16.00 एमटी 10.00 एमटी 26.00 एमटी 33.00 एमटी	

2. निम्नलिखित मार्गों पर विभिन्न आकारों के कंटेनरों में विभिन्न रॉकेट उप-असेम्बलियों का परिवहन:

क्र.सं.	यहां से	यहां तक	सड़क का नाम	सड़कों की श्रेणी	आवाजाही का उद्देश्य
01	वीएसएससी (इसरो) थुम्बा, त्रिवेंद्रम, केरलम	एसडीएससी (इसरो) नेलोर जिला, आंध्र प्रदेश	एनएच-66, एनएच-44, एनएच-45, एनएच-32, एनएच-5	राष्ट्रीय राजमार्ग	परीक्षण और प्रक्षेपण (लॉन्च) के उद्देश्य से जीएसएलवी/एलवीएम3 हार्डवेयर की आपूर्ति (डिलीवरी) करना।

02	वीएसएससी (इसरो) थुम्बा, त्रिवेंद्रम, केरलम	एचएएल-एएसडी बैंगलोर, कर्नाटक	एनएच-66, एनएच-44, एनएच-45, एनएच-48, एनएच-844	राष्ट्रीय राजमार्ग	परीक्षण और लॉन्च के उद्देश्य से जीएसएलवी/एलवीएम3 हार्डवेयर का संग्रहण/डिलीवरी।
03	वीएसएससी (इसरो) थुम्बा, त्रिवेंद्रम, केरलम	एसईसी इंडस्ट्रीज हैदराबाद, तेलंगाना	एनएच-66, एनएच-44, एनएच-45	राष्ट्रीय राजमार्ग	परीक्षण और लॉन्च के उद्देश्य से जीएसएलवी/एलवीएम3 हार्डवेयर का संग्रहण/डिलीवरी

3. उपरोक्त छूट इसरो के प्रेषित माल के परिवहन के लिए एक विशेष मामले के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की गई है:

i. कांबिनेशन का संचालन कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के संबंधित सड़क अधिकारियों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से निगरानी और पूर्व स्वीकृति के बाद ही किया जाएगा।

ii. लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी)/स्थानीय अधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सड़कों/पुलों पर निर्धारित आयाम और भार सीमा का अनुपालन कराया जाएगा और वाहनों को सड़क पर ले जाने से पहले हर बार इन अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी।

iii. कांबिनेशन पर सभी चेतावनी सूचक झंडे और बत्तियां प्रदर्शित होनी चाहिए। अधिमानतः, वाहन के आगे और पीछे एक ऐसा वाहन चलना चाहिए जो प्रमुखता से प्रदर्शित करे कि एक भारी लदान वाला वाहन गुजर रहा है।

iv. सड़क की चौड़ाई के समानांतर ट्रेलरों को साथ-साथ जोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

v. कांबिनेशन की आवाजाही की समय योजना की सूचना संबंधित कार्यकारी अभियंताओं को कम से कम दस दिन पहले दी जानी चाहिए और उनकी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।

vi. वाहन का पंजीकरण एक कांबिनेशन के रूप में किया जाएगा।

vii. यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो अत्यधिक आयाम वाले वाहनों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलों से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसके अलावा, वाहन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जारी किए गए आदेश संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-35072/01/2010-एस एण्ड आर(बी), दिनांक 24.08.2020 के पैरा 1 के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

viii. माल भार (कार्गो) के अत्यधिक बड़े आकार को देखते हुए, उन्हें किसी विशेष मार्ग पर चलने से पहले प्रत्येक बार संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसी प्रत्येक आवाजाही के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

ix. सामान्य यातायात प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा डाले बगैर उक्त कांबिनेशन को ले जाया जाना चाहिए।

x. माल के आयाम, माल और अन्य सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रेषित माल के परिवहन के लिए अनुमेय गति सीमा 35 किमी/घंटा से अधिक नहीं होगी।

xi. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) को वाहनों को सड़क पर उतारने से पहले होर्डिंग्स, खंभे, साइनबोर्ड हटाने, ट्रांसमिशन लाइन बंद करने आदि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास करने की लागत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), त्रिवेंद्रम, केरलम द्वारा वहन की जाएगी।

xii. कांबिनेशन को पूरी चौड़ाई में आगे और पीछे के हिस्सों पर पीले और काले रंग की ज़ेबरा पट्टियों से रंगा जाना चाहिए। रात के समय ड्राइविंग/पार्किंग के लिए आगे और पीछे लाल बत्तियों तथा दिन के समय दोनों तरफ लाल झंडों द्वारा कांबिनेशन की स्थिति को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।

xiii. यदि कांबिनेशन की आवाजाही के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सड़कों/पुलों या सड़क संरचनाओं/अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचता है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), त्रिवेंद्रम, केरलम, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

xiv. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), त्रिवेंद्रम, केरलम, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट प्रतिबंधों का अनुपालन करेगा।

xv. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), त्रिवेंद्रम, केरलम ऐसे कांबिनेशन न की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी या अधिकारी को अग्रिम सूचना देगा।

xvi. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), त्रिवेंद्रम, केरलम यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों के संबंध में सड़क कर का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा कवर, राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त कर लिया गया है।

xvii. पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) में विशिष्ट प्रविष्टि की जानी चाहिए कि कांबिनेशन के मालिक को प्रत्येक आवाजाही के मामले में संबंधित प्राधिकारी अर्थात् राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक होगा।

xviii. केवल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), त्रिवेंद्रम, केरलम द्वारा इन वाहनों के उपयोग के लिए ही यह अनुमति मान्य होगी।

xix. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), त्रिवेंद्रम, केरलम को केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के संबंध में सभी अधिसूचित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

xx. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी), त्रिवेंद्रम, केरलम को केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 के संदर्भ में तकनीकी आवश्यकता के अनुसार ट्रैक्टर ट्रेलर कांबिनेशन का पूरी तरह से सफल परीक्षण करना होगा। आईपीआरसी को यह प्रस्तुत करना चाहिए कि उपग्रहों की रणनीतिक रूप से अति महत्वपूर्ण आवाजाही को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक्टर ट्रेलर का संचालन (भार लदे/बगैर भार लदे) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार प्रशिक्षित कार्मिकों की कड़ी देखरेख में और उचित सुरक्षा पहरे (एस्कॉर्ट) के साथ किया जाएगा।

4. ट्रेलर केवल केरलम राज्य में ही पंजीकृत किया जाएगा, जो केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 47 (नियम 47(ग), 47(छ), नियम 47 के उप-नियम 2 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों को छोड़कर) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने और बिक्री दस्तावेज/क्रय आदेश (बिल (इनवॉइस), सभी करों के भुगतान का प्रमाण) प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा।

[फा. सं. आरटी-11042/07/2020-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2026

S.O. 4999(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for registration of 'Special purpose Rocket Assemblies Transportation Trailer' for transportation of various sub-assemblies, Launch Vehicle Hardware and allied equipments with dimensions as mentioned in the Schedule appended hereto.

SCHEDULE

Sl. No.	Item	Details	
1.	Type of combination	Tractor/Trailer-(Well bed-semi trailer)	
2.	Owned By	The Director, Vikram Sarabhai Space Centre, Trivandrum, Kerala.	
3.	Articulated Semi Trailer Manufactured By	M/s V.S. Trailers	
4.	No. of combinations	One	
Description of Vehicle		Registration Number- To be registered	
5.	Engine No.	RDPZ134175	
6.	Chassis No.	Tractor:- MB1TTVHD1RPDC6913 Trailer:- VSTSWB2FK25001	
Description of Trailer		**Unladen**	**Laden**
7.	Length	19.75 meter	19.750 meter
8.	Width	3.0 meter	5.100 meter
9.	Height (laden)	1.3 meter	5.400 meter
10.	Tyre:- First Axle Second Axle Third Axle Fourth Axle	 295/90 Rx20 – 2 tyres 295/90 Rx20 – 4 tyres 10.00x20 - 4 tyres 10.00x20 -4 tyres	
11.	Weight:- Pay Load Weight:- Trailer:- Gross laden Weight of the vehicle:- Gross Combination weight:-	 16.00 MT 10.00 MT 26.00 MT 33.00 MT	

2. Transportation of various rocket sub-assemblies in different sized containers on the following routs:-

S.No.	From	To	Name of Road	Category of Roads	Purpose of Movement
01	VSSC(ISRO) Thumba, Trivandrum, Kerala	SDSC(ISRO) Nellore Dist., Andhra Pradesh	NH-66 NH-44 NH-45 NH-32 NH-5	National Highways	To deliver GSLV/LVM3 Hardware for testing |& launch Purpose.
02	VSSC(ISRO) Thumba, Trivandrum, Kerala	HAL-ASD Banglore Karnataka	NH-66 NH-44 NH-45 NH-48 NH-844	National Highways	Collection/Delivery of GSLV/LVN3 Hardware for testing & launch purpose.
03.	VSSC(ISRO) Thumba, Trivandrum, Kerala	SEC Industries Hyderabad Telangana	NH-66 NH-44 NH-45	National Highways	Collection/Delivery of GSLV/LVN3 Hardware for testing & launch purpose

3. The above relaxation is allowed as special case for transportation of the consignments of ISRO subject to the conditions that:-

i. The operations of the combinations shall be done only after prior approval of such movement of the combination is approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from Safety point of view.

ii. Dimensions and weight restrictions on various roads/bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India will be observed and prior permission of such authorities will be obtained every time the vehicles are put on the roads.

iii. The combination should display all danger flags and lights, preferably the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.

iv. Coupling of the trailers along side by side the width of the road shall not be permitted.

v. The program of the movement of the combination should be intimated at least ten days in advance to the Executive Engineers concerned and their clearance obtained.

vi. The vehicle shall be registered as a combination.

vii. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/Government of India, the over dimensional vehicles will not be allowed to pass over the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains. Further, it is directed the vehicle should comply with Ministry of Road Transport & Highways guidelines as per Para 1 issued vide order No. RW/NH-35072/01/2010-S&R(B) dated 24.08.2020.

viii. They would need to obtain permission each and every time before moving on a particular route from concerned State or union Territory Authorities/National Highway Authority of India enroot, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.

ix. The said combinations should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.

x. Keeping in view the dimension and safety of consignments and other road users, the permissible speed limit for transportation of such consignments shall not exceed 35km/hr.

xi. Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Trivanduram, Kerala.

xii. The combinations shall be painted for the entire width by yellow and black zebra strips on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the combination clearly.

xiii. Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Trivanduram, Kerala would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India or any other affected person where any damage is caused to the roads/bridges or road structures/other road users/person directly or indirectly due to the movement of the combinations.

xiv. Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Trivanduram, Kerala will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India may by order specify in this behalf.

xv. Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Trivanduram, Kerala will give advance intimation to such authority or officer specified in this behalf by the State Government/Union Territory Government/National Highway Authority of India regarding each movement of such combination.

xvi. Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Trivanduram, Kerala will ensure that road tax have been paid, fitness certificate, insurance cover, National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movements.

xvii. A specific entry in Registration Certificate is to be made that the combination owner in case of each and every movement will be required to take the permission of concerned Authority i.e, State Govt./Union Territory Govt./National Highway Authority of India.

xviii. The permission will be valid for use of these vehicles by Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Trivanduram, Kerala only.

xix. Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Trivanduram, Kerala should ensure compliance with all notified provisions in respect of Central Motor Vehicles Rules, 1989.

xx. Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Trivanduram, Kerala should test and qualify the tractor trailer combination completely as per technical requirement with reference to the CMVR, 1989. IPRC should submit that tractor trailer operation laden/un-laden will be carried under strict supervision of the trained manpower according to standard operating procedure as well as duly escorted to ensure the safety, considering strategic movement of satellites.

4. The trailer shall be registered in the State of Kerala only subject to fulfilment of conditions laid down under Rules 47 (except 47(c), 47(g), sub-rule 2 of 47 and other relevant provisions) of the central Motor Vehicles Rules, 1989 and production of sale documents/purchase order (invoice, proof of payment of all taxes).

[F. No. RT-11042/07/2020-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA